कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

E-mail - eecdpwd_uki@rediffmail.com Phone/Fax No. . 01371.237084

पत्रांक 531 / 03 एल॰ई॰ दिनांक 30/04/2019

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

विशयः-- **जनपद उत्तरकाशी में मल्ली बधाणगांव मोटर मार्ग के थौला से माड़ तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु लो0नि0वि0 को 8.346 है0 वनभूमि के हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति प्रदान के सम्बन्ध में (ऑनलाइन प्रपोजल न0 FP/UK/ROAD/20179/2016/**

सन्दर्भः-- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, पियर्सन रोड़ वन अनुसंधान संसीन परिसर पो0ओ0 न्यू फॉरेस्ट देहरादून के पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/02/2017/एफ0सी0/1950 दिनांक 20.02.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिससे भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विषयगत वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

क्र0 सं0	शर्तों/प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 16.692 है0 ग्राम कुमराड़ा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है, अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के प्श्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 16.692 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु रू0 4651746.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है व विषयगत मार्ग हेतु ली गयी 8. 346 है0 वनभूमि के सापेक्ष दोगुने क्षेत्रफल 16.692 है0 हेतु चयनित स्थल ग्राम कुमराड़ा तहसील डुण्डा खसरा संख्या 5001 रकवा 22.916 है0 में से 16.692 है0 सिविल सोयम भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम अमलदरामद कर दिया गया है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू0 7052376.00 एन0पी0वी0 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। (संलग्नक 1,3)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है। तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता प्रस्तुत की जाए।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आशय का प्रमाण पत्र दिया गया है। कि यदि भविष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों मे कोई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष मे कर दिया जायेगा, प्रमाण पत्र पूर्व मे ही प्रस्ताव के साथ ऑनलाईन कर दिया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु छाया प्रति सलग्न है (सलग्नक 4)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करे कि जमा की गयी सभी निधिया (CA cast. NPV etc.) को वैब पोर्टल पर online ळमदमतंजम किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक मे जमा किए जाए अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशी सैद्धान्तिक स्वीकृति कह अनुपालना के रूप मे मान्य नही होगी।	इस शर्त के अनुपालन मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिये गये डिमाण्ड नोट के आधार पर NEFT/RTGS के माध्यम से Corporation Bank.Lodhi complex Branch, block 11 CGO complex, Phase-I Lodhi road New Delhi 11003 के अन्तर्गत

		UTTARANCHAL, CAMPA के खाता संख्या–150896120179545 मे रू0 11703846.00 जमा कर दी गयी है (संलग्नक 1,3)
5	सडक निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सडक के दोनो किनारों तथा पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में की जाएगी। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया है, कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी, इस प्रमाण पत्र पूर्व मे ही प्रस्ताव के साथ ऑनलाइन कर दिया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है।(संलग्नक 5)
6	State Govt. will submit hard copy of FRA certificate and original / attested copy of its annexure.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय का प्रमाण दिया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग का एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र पूर्व मे ही प्रस्ताव के साथ ऑनलाइन कर दिया गया है।
7	State Govt. will upload CA scheme for double the degraded land at para 13 online part II.	बिन्दु संख्या 07 का पालन किया जा चुका है ।

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति / वनभूमि प्रत्यावर्तन के औपचारिक शासनादेश निर्गत करवाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक काग्रवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–   उपरोक्तानुसार 01 से 07 ।

भवदीय

(इं0 सुरेश कुमार तोमर)
अधिशासी अभियन्ता
निमार्ण खण्ड, लो0नि0वि0
उत्तरकाशी।

M-531/03ए.ए.ई0

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक इन्दिरा नगर, फॉरिस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लो0नि0वि0, देहरादून ।
3. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, नई टिहरी ।
4. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, छठा वृत्त, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी ।
6. सहायक अभियन्ता, तृतीय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी ।

अधिशासी अभियन्ता
निमार्ण खण्ड, लो0नि0वि0
उत्तरकाशी।

:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग,चिन्यालीसौड के पत्र संख्या:03/एल0ए0 दिनांक 29 अगस्त,2018 के द्वारा मल्ली-बदाणगांव मोटर मार्ग के थौला से माड़ तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 8.346हे0 भूमि के बदले में दोगुनी सिविल भूमि वन विभाग,उत्तरकाशी को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम कुमराड़ा(दिचली)के खसरा संख्या:5001 रक्वा 22.916 मध्ये 16.692 हे0 भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण करने का अनुरोध किया गया था।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तहसीलदार चिन्यालीसौड़/उप जिलाधिकारी,डुण्डा की आख्या दिनांक 07.07.2018,शासनादेश संख्या:207 दिनांक 15.02.2002,शासनादेश संख्या:111 दिनांक 09.07.2015 एवं शासनादेश संख्या:1887 दिनांक 30 जुलाई,2015 में दिए गये प्राविधानों के अनुसार इस कार्यालय के आदेश संख्या:7310/ग्यारह-05(2017-18) दिनांक 13 मार्च 2019 के द्वारा मल्ली-बदाणगांव मोटर मार्ग के थौला से माड़ तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 8.346हे0 भूमि के बदले में दोगुनी सिविल सोयम भूमि वन विभाग,उत्तरकाशी को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम कुमराड़ा(दिचली)के खसरा संख्या:5001 रक्वा 22.916 मध्ये 16.692 हे0 भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। किन्तु उपरोक्त आदेश में खसरा संख्या:5001 मध्ये रक्वा 16.692 के स्थान पर 15.692 त्रुटिवश अंकित किया गया था, जो अभिलेखों के अनुसार रक्वा 15.692 के स्थान पर रक्वा 16.692 अंकित किया जाना था।

अतः तहसीलदार चिन्यालीसौड़/उप जिलाधिकारी,डुण्डा की आख्या दिनांक 07.07.2018,शासनादेश संख्या:207 दिनांक 15.02.2002,शासनादेश संख्या:111 दिनांक 09.07.2015 एवं शासनादेश संख्या:1887 दिनांक 30 जुलाई,2015 में दिए गये प्राविधानों के अनुसार पूर्व जारी आदेश संख्या:7310/ग्यारह-05(2018-19) दिनांक 13 मार्च 2019 में आंशिक संशोधन करते हुए खतौनी फसली वर्ष 1424 से 1429 तक के खाता संख्या:57 में दर्ज खसरा संख्या:5001 रक्वा 16.692 उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड़ की भूमि को उपरोक्त परियोजन हेतु प्रभागीय वनाधिकारी,कोटबंगला,उत्तरकाशी के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

ह0/-
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी,उत्तरकाशी।

संख्या: 5719 **/ग्यारह-05** **(2018-19)** **दिनांक** 28 **मई,2024**

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. उप जिलाधिकारी,डुण्डा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग कोटबंगला,उत्तरकाशी।
3. तहसीलदार,चिन्यालीसौड़।
4. अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,चिन्यालीसौड़।

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner